Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 107-2016/Ext] CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 15, 2016 (ASADHA 24, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

मन्त्रिमण्ड़ल सचिवालय

आदेश

दिनांक 15 जुलाई, 2016

संख्या 6/2/2016-1मंत्रिमंडल.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, कप्तान सिंह सोलंकी, राज्यपाल हरियाणा, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) द्वितीय संशोधन नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974, अनुसूची में,

   (i) "कृषि विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग के माध्यम से)" शीर्ष, कोष्ठक तथा चिह्नों के स्थान पर, "कृषि तथा किसान कल्याण विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के माध्यम से)" शीर्ष, कोष्ठक तथा चिह्नों को प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

   (ii) "कृषि विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग के माध्यम से)" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 28 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात्:–

"29 किसान कल्याण"।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 6 जुलाई, 2016.

कप्तान सिंह सोलंकी,
राज्यपाल, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 13 जुलाई, 2016.

डी० एस० ढेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

CABINET SECRETARIAT

Order

The 15th July, 2016

No. 6/2/2016-1 Cabinet.—In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, I, Kaptan Singh Solanki, Governor of Haryana, hereby make the following rules further to amend the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974, namely:-

1. These rules may be called the Business of the Haryana Government (Allocation) Second Amendment Rules, 2016.

2. In the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974, in the Schedule;

(i) for the heading, brackets and signs "AGRICULTURE DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Agriculture Department)", the heading, brackets and signs "AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Agriculture and Farmers Welfare Department)" shall be substituted;

(ii) under heading "AGRICULTURE DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Agriculture Department)", after serial number 28 and entries thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be added at the end, namely:-

"29 Farmers Welfare".

Chandigarh:
The 6th July, 2016.

KAPTAN SINGH SOLANKI,
Governor of Haryana.

Chandigarh:
The 13th July, 2016.

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government, Haryana.

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(GENERAL SERVICES-I)

Notification

The 15th July, 2016

No. 42/212/2014-5GS1.—The Governor of Haryana is pleased to appoint the following as Members of the Haryana Staff Selection Commission for a period of three years from the date(s) they take over as such or till the Member attains the age of 65 years whichever is earlier, as the case may be, in terms of Haryana Government, General Administration Department notification No. 523-3GS-70/2068, dated the 28th January, 1970, as amended from time to time:—

1.	Dr. H.M. Bhardwaj, # 599, Chhabil Dass Colony, Uklana, Distt. Hisar	Member
2.	Smt. Rajbala Singh, W/o Sh. Satyavir Singh # 126, Sector-14, Rohtak	Member
3.	Sh. Pardeep Jain, S/o Sh. Sumat Prashad Jain# 675/23, DLF Colony, Rohtak	Member
4.	Sh. Surender Kumar, S/o Sh. Thakur Prahlad Singh R/o Village Ujina, Tehsil Nuh, Distt. Mewat	Member
5.	Dr. Hans Raj Yadav, S/o Sh. Chhaju Ram# 305-C, Central Park II, Sohna Road, Sector-48, Gurgaon.	Member

D.S. DHESI,
Chief Secretary to Government Haryana.

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 जुलाई, 2016

संख्या 13/6/2016–6परि(1).– हरियाणा मोटरयान कराधान अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम 28), की धारा 16 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, श्री गुरु रविदास मन्दिर सभा, कपाल मोचन, बिलासपुर, यमुनानगर (हरियाणा) के स्वामित्वाधीन पंजीकरण संख्या एच.आर.–58बी 6988 वाले टाटा 407 को कर के भुगतान के दायित्व से छूट प्रदान करते हैं।

एस०एस० ढिल्लों,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 15th July, 2016

No. 13/6/2016-6T(I).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 16 of the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2013 (Act 28 of 2013), the Governor of Haryana hereby exempts Tata 407 bearing registration No. HR-58B-6988 owned by Sh. Guru Ravidas Mandir Sabha, Kapal Mochan, Bilaspur, Yamuna Nagar (Haryana) from liability of payment of tax.

S. S. DHILLON,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Transport Department.

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

तथा

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 जुलाई, 2016

संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.) एफ.डी.पी.–2031/जी.जी.एन./2016/2102.– हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 16), की धारा 346 की उप धारा (5) व पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15 नवम्बर, 2012 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या–सी.सी.पी.(एन.सी.आर.) एफ.डी.पी.–2031/जी.जी.एन./2012/3541, दिनांक 15 नवम्बर, 2012 द्वारा अधिसूचित गुड़गांव–मानेसर अर्बन काम्पलेक्स के अन्तिम विकास योजना, 2031 ए. में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करते हैं जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, एस.सी.ओ. संख्या 11–14, सैक्टर 4, पंचकूला, नगर निगम की सीमा के भीतर के क्षेत्र के लिए तथा निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, एस.सी.ओ. संख्या 71–75 (द्वितीय से तृतीय तल), सैक्टर–17 सी, चण्डीगढ़, द्वारा लिखित रूप में किसी व्यक्ति से संशोधन प्रारूप के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, प्राप्त किये जाएं, पर विचार करेगी।

संशोधन प्रारूप

हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या– सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/एफ.डी.पी.–2031/जी.जी.एन./2012/3541 दिनांक 15 नवम्बर, 2012 में,–

I. अनुबन्ध–क में, भूमि उपयोगों का विवरण शीर्ष में,

(i) '1 रिहायशी' उप–शीर्ष में,– "विकास योजना में प्रस्तावित रिहायशी क्षेत्रों को प्रति हेक्टेयर 250 व्यक्तियों के वास्तविक रिहायशी औसत घनत्व के आधार पर सैक्टर के भीतर सभी सामुदायिक सुविधाओं तथा सेवाओं का प्रावधान करते हुए पड़ोस पद्धति पर विकसित किया जाएगा ।" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर "विकास योजना में प्रस्तावित रिहायशी क्षेत्रों को सभी सामुदायिक सुविधाओं तथा सेवाओं का प्रावधान करते हुए पड़ोस पद्धति पर विकसित किया जाएगा । प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईंग में दर्शायी गई सैक्टर सघनता में विकसित किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी (न. ए. अ. प.), अफोर्डऐबल ग्रुप पॉलिसी, ट्रांजिट ओरयंटिड विकास पॉलिसी, 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी में यथाविहित सघनता आवासीय सैक्टर में भी लागू होगी।"

(ii) '2 वाणिज्यिक' उप–शीर्ष में, पांचवीं पंक्ति में, शब्द कोष्ठक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे । "गया है ।" शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे, अर्थात्:–

"ग्रुप हाऊसिंग, मिश्रित भूमि उपयोग तथा आई. टी./आई. टी. ई. एस. परियोजनाओं को ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसियों के अधीन अनुमत किया जाएगा ।";

(iii) '3 औद्योगिक' उप–शीर्ष में, अन्त में, निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्:–

"ग्रुप हाऊसिंग, वाणिज्यिक तथा मिश्रित भूमि उपयोग परियोजनाओं को ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसियों के अधीन अनुमत किया जाएगा ।";

(iv) '4 परिवहन तथा संचार' उप–शीर्ष में, "जिसे गोल्फ कोर्स सड़क से होते हुए दक्षिणी परिधीय मार्ग तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है ।" शब्दों के स्थान पर, "जिसे गोल्फ कोर्स सड़क से होते हुए दक्षिण परिधीय मार्ग तक तथा सेक्टर 56 की दक्षिणी परिधि मार्ग के भाग को सम्मिलित करते हुए बढ़ाया जाना प्रस्तावित है ।" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(v) '6 सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक' उप– शीर्ष में, अन्त में निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न जोड़े जाएंगे अर्थात्:–

"ग्रुप हाऊसिंग, वाणिज्यिक तथा मिश्रित भूमि उपयोग तथा आई.टी./आई.टी.ई.एस. परियोजनाओं का ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पोलिसियों के अधीन अनुमत किया जाएगा ।";

II अनुबन्ध ख में,

(1) अंचल विनियम शीर्ष में.–

(i) 'II परिभाषाएं' उप–शीर्ष में, खण्ड (य क) में व्याख्या (3) में, 3 के बाद, निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात्:–

"(4) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे न. ए. अ. प., के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं प्लॉटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता से शासित होगी।";

(ii) "VII सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर" उप शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"VII सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर :–

सरकार सम्पूर्ण रूप से अपने द्वारा या उसकी एजेंसियों द्वारा विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती हैं मामला जिसमें ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी ।";

(iii) 'VIII मुख्य परिवहन कोरोडोर के लिए भूमि आरक्षण' शीर्ष में, उप पैरा (3) में, अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात्:–

"व्यापार योग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सेक्टर सड़क या हरित पट्टी तथा कुल क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध अनुज्ञात किया जा सकता।";

(iv) 'XIV विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लोटों का न्यूनतम आकार' शीर्ष में, पैरा (2) में "प्लाटिड आवासीय कालोनी हेतू कम से कम 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्:–

"प्लाटिड आवासीय कालोनी हेतू कम से कम 100 एकड़ या आवासीय विकास के लिए समय–समय पर अधिसूचित पॉलिसियों में यथा विनिर्दिष्ट भूमि की आवश्यकता होगी।";

(v) 'XV विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत क्षेत्र, ऊँचाई और आकार' शीर्ष में तालिका में, क्रमांक 1 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रमांक तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्

1. ग्रुप हाऊसिंग

"विशिष्ट प्लॉट पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटर, भवन संहिता नियमों तथा/या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा शासित होगी";

(vi) 'XIX सघनता' उप शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'XIX सघनता–

प्रत्येक आवासीय सेक्टर ड्राईंग में दर्शाई गई सेक्टर सघनता में विकसित किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी (न.ए.अ.प.) अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी, ट्रांजिट ओरियंटिड विकास पॉलिसी तथा 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी में यथाविहित सघनता आवासीय सेक्टर में भी लागू होगी।";

2. परिशिष्ट ख में–

(i) 'II वाणिज्यिक जोन' शीर्ष में, उप खण्ड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(viii) यथा विनिर्दिष्ट मिश्रित भूमि उपयोग परियोजनाओं में आवास";

(ii) 'III औद्योगिक जोन' शीर्ष में, उप खण्ड (vi) के बाद, निम्नलिखित उप खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

'(vik) ग्रुप हाऊसिंग, वाणिज्यिक तथा मिश्रित भूमि उपयोग परियोजनाएं ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसियों के अधीन अनुमत की जाएंगी";

(iii) 'VI सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचल' शीर्ष में, उप खण्ड (vii) के बाद, निम्नलिखित उप खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(vii क) ग्रुप हाऊसिंग, वाणिज्यिक, मिश्रित भूमि उपयोग तथा आई.टी./आई.टी.ई.एस. परियोजनाओं को ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसियों के अधीन अनुमत किया जाएगा।"

अनिल कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

पी० राघवेन्द्रा राव,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
AND
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 15th July, 2016

No.CCP(NCR)/FDP-2031/GGN/2016/2102.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (5) of Section 346 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and Sub-section (4) of Section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana publishes the following draft of amendments in the Final Development Plan 2031 AD, Gurgaon-Manesar Urban Complex, notified *vide* Haryana Government, Town & Country Planning Department notification No. CCP(NCR)/FDP-2031/GGN/2012/3541, dated the 15th November, 2012 and published in the Haryana Government Gazette(Extra Ordinary), dated the 15th November, 2012, for the information of all the persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of amendments shall be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Director, Urban Local Bodies Department, Haryana, Bays No. 11–14, Sector – 4, Panchkula, for the area falling within Municipal Corporation limit and Director, Town and Country Planning Department, Haryana, S.C.O. No. 71-75 (Second to Third Floor), Sector-17 C, Chandigarh for the area falling outside Municipal Corporation limit, from any person with respect to the draft of the amendments, before the expiry of the period so specified.

Draft of Amendment

In the Haryana Government, Town and Country Planning Department, Notification No. CCP(NCR)/FDP-2031/GGN/2012/3541, dated the 15th November, 2012,—

I. In Annexure- A under the heading Description of Land Uses:-

(i) under Sub Head (1)- Residential, the following words, sign and figure shall be substituted, namely:-

(a) after the words community facilities and services, the sign (.) shall be inserted; and

(b) for the words "within the sectors on an average net residential density of 250 persons per hectare"

"Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy (NILP), Affordable Group Housing policy, Transit Oriented Development Policy (TOD). 20% Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector.";

(ii) under Sub-Head (2) – Commercial;- after the words, " to cater to the needs of surrounding areas" the following words shall be inserted:-

"Group Housing, Mixed Land Use and IT/ ITES projects shall be allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone";

(iii) under Sub-Head (3) – Industrial, after the words "Modern Township Manesar", the following words shall be inserted; namely:-

"Group Housing, Commercial and Mixed Land Use projects will be allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone";

(iv) under Sub-Head (4) – Transport and Communication;- in the existing para three, for the words "upto SPR through Golf Course Road", the following words and sign shall be substituted, namely:-

"along Golf Course Road upto SPR and including the portion of SPR forming Southern periphery of sector 56";

(v) under Sub-Head (6) – Public and Semi- Public, the following words shall be added at the end, namely:-

"Group Housing, Commercial, Mixed Land Use and IT/ ITES projects will be allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone."

II. In Annexure- B,

(1) under the heading Zoning Regulations,

(i) under Sub Head II- Definitions; in clause (za), after EXPLANATION (3), the following Explanation shall be inserted; namely:-

"(4) Not withstanding above, the projects approved under specific policy like NILP; FAR and Density shall be the governing parameters instead of plotable area.";

(ii) under Sub Head VII "Sectors to be developed exclusively through Government enterprises, "for the existing clauses (1) and (2), the following clause shall be substituted, namely:–

"Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.";

(iii) under Sub Head VIII, "Land reservations for major transport corridors" in sub para (3) after the words "whichever is less shall be allowed" existing at the end, the following words shall be added, namely:-

"Benefit of tradable FAR, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policy";

(iv) under Sub Head XIV- Minimum size of plots of various types of buildings, "in the existing para (2), after the figure and word 100 acres," the following words shall be inserted; namely:-

"or as specified in the notified policies from time to time for residential development. ";

(v) under Sub Head XV - Site coverage, height and bulk of building under various types of buildings, in the table, against serial number 1, against Group housing, under columns Maximum ground floor coverage and Maximum floor area ratio, for the existing entries, the following entry shall be substituted, namely:–

"The site coverage, FAR and height permitted on a specific plot shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.";

(vi) under Sub Head XIX-Density;- for the existing provision, the following provision shall be substituted, namely:-

"Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing and in addition to it, the density as prescribed in the New integrated Licensing Policy (NILP), Affordable Group Housing policy, Transit Oriented Development Policy (TOD) and 20% of Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector.";

(2) in Appendix- B,

(i) under the heading II- Commercial zone**;** for sub-clause (viii), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"Residences in mixed land use projects as specified";

(ii) under the Heading III- Industrial Zone; after sub-clause (vi), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"vi (a) Group Housing, Commercial and Mixed Land Use projects shall be allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone".

(iii) under the Heading VI - Public and Semi Public uses zone; after sub-clause (viii), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"vii (a) Group Housing, Commercial, Mixed Land Use and IT/ ITES projects will be allowed under specified policies governing development of Transit Oriented Development Zone."

ANIL KUMAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

P.RAGHAVENDRA RAO,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 जुलाई, 2016

संख्या 18/94/2016–3क1.–हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 24 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा प्रधान के रूप में श्री यशपाल पुत्र श्री बच्चन लाल, पार्षद, वार्ड नं0 30, नगर परिषद, कैथल, जिला–कैथल का नाम अधिसूचित करते हैं।

अनिल कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 15th July, 2016

No.18/94/2016-3C1:- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 24 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby notifies the name of Sh. Yashpal S/o Sh. Bachan Lal, Member, Ward No. 30, Kaithal as President of Municipal Council, Kaithal, District- Kaithal.

ANIL KUMAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

54467—C.S.—H.G.P., Chd.